31 क्यों ? कब ? कहाँ ? और कैसे दाखिल करें ? - आयकर रिटन

When ? Why ? Where ? Filed Income Tax Return

30.1 रिटर्न फाईल करना क्यों जरूरी है ?

रिटर्न दाखिल करने के संदर्भ में प्रायः यह धारणा रहती है कि चूंकि हमारे खाते का आयकर, नियोक्ता या बैंक के द्वारा काट लिया गया है, या हमें इस वर्ष कोई टैक्स पटाने की जरूरत नही पड़ी, अतः हमें रिटर्न भरने की आवश्यकता नही है। परन्तु यह धारणा सही नही है, निम्न टेबल के अनुसार विभिन्न श्रेणी के करदाताओं को स्वैच्छिक रिटर्न (Volunatary Return) दाखिल करना अनिवार्य है, अन्यथा कर निर्धारण वर्ष के अंत तक रिटर्न दाखिल नही करने पर, धारा 271(F) के अंतर्गत कर निर्धारण अधिकारी 5,000 रू. की पेनाल्टी लगा सकता है।

करदाता की श्रेणी	स्वैच्छिक आयकर रिटर्न दाखिल करने का आधार
व्यक्ति (Individual), हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों का समुदाय (AOP), कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति	यदि वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त (Grass Total Income)सकल आय, आयकर से छूट की मौलिक सीमा (रू.2,50,000) से अधिक हो (परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्हें वेतन एवं बचत खाते से आय हो, तथा करयोग्य आय रू.5 लाख तक हो,तो ऐसे कर्मचारी को रिटर्न दाखिल करने से छूट होगी)
कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण साझेदारी फर्म	बिना किसी आय सीमा के, प्रतिवर्ष रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है

ऐसे व्यक्ति, जिन्हे अधिक TDS कटने या अन्य किसी कारणवश आयकर विभाग से रिफण्ड लेना हो, उन्हे भी आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है, तथा ऐसे व्यक्ति, जिन्हे व्यवसाय अथवा पेशे शीर्ष या पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत हानि हो तथा उसे आगामी वर्षों में होने वाले लाभ से समायोजित करना चाहतें हो, तो धारा 139(3) के तहत नियत तिथि के पूर्व रिटर्न फाईल करना आवश्यक है।

30.2 आयकर रिटर्न, कब तक दाखिल करें ?

धारा 139(1) तहत

करदाता की श्रेणी	कर निर्धारण वर्ष की नियत दिनांक
कंपनी, तथा अन्य करदाता (जहां अंकेक्षण आवश्यक है)	30 सितम्बर
उपरोक्त के अलावा अन्य शेष श्रेणी के करदाता	31 जुलाई/अगस्त 2015

नियत तिथि के बाद, कर निर्धारण वर्ष के अंत तक अर्थात् 31 मार्च तक, बिना किसी पेनाल्टी के (यदि कोई टैक्स देना शेष ना हो तो), रिटर्न फाईल किए जा सकतें हैं, परन्तु यदि टैक्स देना शेष हो, तो ब्याज सहित रिटर्न 31 मार्च तक दाखिल किया जा सकता है तथा कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष बाद तक 5,000 रू. के अतिरिक्त अर्थदण्ड एवं ब्याज (12 प्रतिशत) सहित (यदि कोई आयकर का भुगतान शेष हो तो) दाखिल किये जा सकतें हैं।

30.3 रिटर्न, कहॉ फाईल करें ?

उस आयकर अधिकारी के कार्यालय में, जिनके क्षेत्राधिकर में, करदाता का निवास स्थान या व्यवसाय अथवा पेशे का मुख्य स्थान (Principal place of Business or Profession) आता है (धारा 124)

30.4 रिटर्न कैसे फाईल करें ?

करदाता, निर्धारित फार्म में संबंधित आयकर अधिकारी के कार्यालय में स्वयं या कर सलाहकार के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा रिटर्न दाखिल कर सकता है। करदाताओ को इंटरनेट के माध्यम से ई–रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी उपलब्ध है।

30.5 संशोधित रिटर्न (Revised Return) धारा 139 (5) – यदि रिटर्न नियत तिथि के पूर्व भरा गया हो तथा यदि त्रुटि जानबूझकर न की गई हो तो, कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष बाद या निर्धारण पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो तक, संशोधित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।

30.5 देर से दाखिल किए गए रिटर्न (Belated Return) धारा 139 (4) – यदि रिटर्न कर निर्धारण वर्ष मे न भरा जा सका हो, तो भी संबंधित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति या कर निर्धारण, दोनो में से जो पहले हो, तक इस प्रावधान के तहत रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। AY-16-17 से इसे संशोधित भी किया जा सकेगा।

इंकमटैक्स रिटर्न इंटरनेट के माध्यम से कैसे दाखिल करें ?

How to File IT Return through Internet ?

1. ई-रिटर्न दाखिल करना किसे आवश्यक– ऐसे व्यक्तिगत, अविभक्त हिन्दु परिवार जिनकी वर्ष 2014–15 के दौरान कर योग्य आय रू. 5.00 लाख या उससे अधिक है तथा अन्य सभी श्रेणी करदाता को इंटरनेट के माध्यम से रिटर्न फाईल करना अनिवार्य है।
2. रिटर्न कब तक दाखिल कर सकते हैं– इस वर्ष रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि (Due date) गैर कंपनी करदाताओं के लिए 31 जुलाई से बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी गई है, परन्तु यदि कर दाता चाहे तो नियत तिथि के बाद भी वित्तीय वर्ष 2014–15 का आयकर रिटर्न 31 मार्च 2016 तक दाखिल कर सकतें हैं। परन्तु नियत तिथि के बाद दाखिल करने वाले करदाता को विभिन्न श्रोतों से होने वाली हानि को आगामी वर्ष में समायोजितकरने की सुविधा प्राप्त नही होती है। अतः बेहतर है कि रिटर्न 31 अगस्त 2015 के पूर्व ही दाखिल कर दिए जायें।
3. रिटर्न दाखिल कैसे करें– करदाता स्वयं आयकर विभाग की वेबसाईट www.incometaxindiaefiling.gov.in मे जाकर आफ लाईन या आनलाईन दोनो विकल्पों के द्वारा रिटर्न फाईल कर सकतें हैं। व्यक्तिगत कर दाताओं को रिटर्न दाखिल क्रने के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य नही है।
   3.1. सही रिटर्न फार्म का चयन निम्नानुसार करके वेबसाईट के डाउनलोड सेक्सन में जाकर उस रिटर्न का रिटर्न प्रिपेयर साफ्टवेयर डाउनलोड करें।

क्र.	करदाता की श्रेणी	आय के श्रोत	लागू रिटर्न फार्म
1	व्यक्ति या अविभक्त हिन्दु परिवार	वेतन/पेंशन से आय, गृह संपत्ति से आय /हानि, अन्य श्रोतो से आय (केवल ब्याज या फैमिली पेंशन)	आई.टी.आर.1 सहज +
		+ अन्य श्रोतों से लाभ/हानि	आई.टी.आर. 2 A
		+ पूंजीलाभ/हानि	आई.टी.आर. 2
		+ पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर	आई.टी.आर. 3
		+ व्यवसाय व पेशे से आय या	आई.टी.आर. 4
		व्यवसाय व पेशे से आय का अनुमानित आधार पर आंकलन	आई.टी.आर. 4 S सुगम
2	फर्म, व्यक्तियों का समूह AOP, BOI, स्थानीय निकाय		आई.टी.आर. 5
3	कंपनियों		आई.टी.आर. 6
4	ट्रस्ट		आई.टी.आर. 7

   3.2 रिटर्न फार्म की एक्सेल यूटिलिटि में विवरण भरने से पूर्व आयकर का गणना पत्रक इस पुस्तक के पेज नं. 29 में दिए गए उदाहरण के अनुसार तैयार कर लें। तथा यदि टी.डी.एस. कटा हो तो वेबसाईट से फार्म 26AS डाउनलोड कर फार्म 16 से मिलान कर लें तो विवरण भरने में आसानी होगी। तत्पश्चात .xml file बनाकर कम्प्यूटर के डेक्सटाप में सेव कर लें।
   3.3 आयकर विभाग की वेबसाईट में पुनः जाकर पेन नंबर के माध्यम से रजिस्टर करें एवं लागिन कर .xml file को अपलोड करें। यदि रिटर्न सफलता पूर्वक दखिल हो गया होगा तो साफ्टवेयर ITR-V verification फार्म जारी होगा जिसे सेव कर 2 प्रतियों में प्रिंट निकाल लें। इस वेरिफिकेशन फार्म में हस्ताक्षर कर 120 दिनों के अंदर सामान्य डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आयकर विभाग के बैंगलोर कार्यालय – सी.पी.सी.पोस्ट बैग नं. 1, इलेक्ट्रानिक सिटी बैंगलोर, 560101 में प्रेषित करें।
   3.4 आयकर विभाग से Verification फार्म प्राप्त होने की सूचना मोबाईल तथा ई–मेल पर प्राप्त होने का मतलब है कि आपका रिटर्न सफलता पूर्वक फाईल हो चुका है।
4. आप चाहे तो रिटर्न टेक्स रिटर्न प्रिपेयर में माध्यम से भी दाखिल कर सकते हैं।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:36 PM